FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) नागौर

मगाराम बनाम आसूराम व अन्य

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR नं. 279/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/2020 को पेश हो। [signature] उपखण्ड [illegible]	
14/10/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान [illegible]। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 02/12/2020 को पेश हों।	
02/12/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान [illegible]। पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 09/02/2021 को पेश हों।	
09/02/2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन कार्य में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 22/06/2021 को पेश हों।	

22/06/2021 पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकार [illegible] इल्तवा होकर दिनांक 14/09/2021 [illegible] पेश हो।

14/09/2021 पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकार [illegible] इल्तवा होकर दिनांक 01/12/2021 [illegible] पेश हो।

01/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील किए तामील पत्रावली शामिल। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-22/03/2022 को पेश हो।

22/03/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के सम्मन पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-27/04/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

27/04/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-23/05/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग–अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 769 दिनांक : 23/05/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. मगाराम पुत्र अमराराम वगैरा 06,
जातियान् जाट, निवासी रतेऊ,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. आसूराम पुत्र उदाराम वगैरा 15,
जातियान् जाट, निवासी रतेऊ,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 279 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – रतेऊ, पटवार मण्डल – रतेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 762 / 25, 763 / 25, 770 / 32, 771 / 32, 772 / 32 रकबा क्रमशः 21.0000, 21.0000, 20.1100, 20.1200, 20.1100 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 770-774 दिनाक : 23/05/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मगाराम पुत्र अमराराम वगैरा 06,
4. विप्रार्थी श्री आसूराम पुत्र उदाराम वगैरा 15,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर